अध्याय 6

लोक प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां

[धारा 4 (1) (बी) (V!)]

सार्वजनिक प्राधिकरण या उसके नियंत्रण में रखे गए अधिकारिक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दें।

6. विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के दस्तावेजों का विवरण:-

मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता :-

विभाग के कार्यों को सूचारू रूप से संचालन करने के लिये विभाग द्वारा वर्ष 1973 में शिक्षा संहिता की रचना की है। जिसमें विभाग के विभिन्न क्रिया कलापों का विवरण, परिभाषायें, कार्यों को करने के लिये दिशा निर्देश, विभाग में प्रचलित अधिनियम, नियम आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी इसकी सहायता विगत वर्षों से अपने कार्यों में लेते आ रहे हैं। ये विभाग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण प्रतिवेदन :-

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के मार्ग दर्शन में प्रत्येक 5-6 वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। प्रदेश की समस्त शालाओं से निर्धारित प्रपत्रों में शालाओं में उपलब्ध विभिन्न भौतिक सुविधाओं, शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों, पढाये जा रहे विषयों, प्रयोग शालाओं तथा उपकरण आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है जिसे संकलित किया जा कर प्रदेश स्तर पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। अभी तक 6 शिक्षा सर्वेक्षण आयोजित किये जा चुके हैं। 7वां सर्वेक्षण अभी जारी है। सर्वेक्षण के प्रतिवेदन प्रशासनिक कार्यों में मदद देने, शिक्षा संबंधी योजनाओं एवं नीति तैयार करने तथा शैक्षणिक अनुसंधान के लिये महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

शैक्षिक प्रशासन का सर्वेक्षण प्रतिवेदन :-

शिक्षा सर्वेक्षण की ही तरह विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वेक्षण भी 8-10 वर्षों में एक बार किया जाता हैं। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासनिक संस्था नई दिल्ली के मार्ग दर्शन में किया जाता है। और इसका प्रतिवेदन भी पुस्तक के रूप में तैयार किया जाता है। इन प्रतिवेदनों का भी शिक्षा के प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देने मे विशेष योगदान हैं। पिछला सर्वेक्षण वर्ष 1994 में किया गया था जिसका प्रतिवेदन पुस्तक के रूप में उपलब्ध है।

प्रशासनिक प्रतिवेदन :-

विभाग द्वारा वर्ष भर में किये गये विभिन्न कार्यों का एक प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है जिसे विधान सभा के बजट सत्र में सभी मंत्री गणों एवं विधायकों को उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा किये गये कार्यों का पूरा लेखा-जोखा इस प्रतिवेदन में रहता है, जिसका विभाग को आगे के कार्यों में मार्गदर्शन देने का महत्वपूर्ण योगदान है।

पालक शिक्षक संघ नियमावली :-

प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में पालक शिक्षक संध का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य संस्था प्रमुख एवं अभिभावकों के बीच एक सूत्र स्थापित करना तथा विद्यालय के विकास कार्यों में अभिभावकों को अधिकाधिक रूचि लेने हेतु प्रोत्साहित करना है। पालक शिक्षक संध की स्थापना, उसके कार्यकलाप तथा उसके अधिकार एवं

कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुये विभाग द्वारा एक पालक शिक्षक संघ नियमावली तैयार की गई है जो संघ को कार्य करने में बहुत सहायक है। इससे विद्यालयों के संचालन एवं उसके समाज से अच्छे संबंध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। जन शिक्षा अधिनियम मे पालक शिक्षक संघ की स्थापना का उल्लेख किया गया है। उसी तारतम्य में इसकी स्थापना कार्यप्रणाली तथा कार्यों के बारे में विस्तृत नियमों का उल्लेख इस नियमावली में किया गया है।

शैक्षिक कैलेण्डर:-

प्रत्येक विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियां एवं पाठ्येत्तर गतिविधयां नियमित रूप से एवं निर्धारित समयावधि में संचालित हो ताकि शैक्षिक वातावरण एवं शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत किया जा सके इस दृष्टि से विभाग द्वारा शैक्षिक कैलेण्डर प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है जिसे प्रत्येक विद्यालय में भेजा गया है। इस कैलेण्डर के माध्यम से विद्यालयों के कार्यों में गति लाई जाती है। इस दृष्टि से यह विभाग का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।